न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 26/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/87

अनवान्

1. श्रीमती भूरी पत्नी प्यारा डांगी निवासी धमानिया तहसील वल्लभनगर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती वाली पुत्री चेना डांगी निवासी घासा हाल भुवाणा उदयपुर।
2. श्री मांगीलाल पिता पेमा डांगी निवासी घासा आंवलिया तहसील घासा।
3. श्री दामोदर पिता पेमा डांगी निवासी घासा आंवलिया तहसील घासा।
4. श्रीमती अनिता पुत्री पेमा पत्नी किशन डांगी निवासी सोनलाई मांगथला तहसील घासा।
5. श्री पूरण पिता पेमा डांगी निवासी घासा तहसील घासा।
6. श्री किशन पिता लोगर खटीक निवासी घासा आंवलिया तहसील घासा।
7. श्री बालु पिता लोगर खटीक निवासी होली चौक घासा तहसील घासा।
8. श्री रोशन पिता लोगर खटीक निवासी होली चौक घासा तहसील घासा। मृतक

8/1 श्री ओमप्रकाश पिता रोशन खटीक निवासी घासा तहसील घासा।
8/2 श्री कमलेश पिता रोशन खटीक निवासी घासा तहसील घासा।
8/3 श्रीमती प्रेमलता पिता रोशन खटीक निवासी घासा तहसील घासा।
8/4 प्रियंका पुत्री रोशन खटीक निवासी घासा तहसील घासा।

9. श्री भेरा पिता गांगा डांगी निवासी घासा तहसील घासा।

9/1 श्री कालु पिता भेरा डांगी निवासी आंवलिया तहसील घासा।
9/2 श्री गोपीलाल पिता भेरा डांगी निवासी आंवलिया तहसील घासा।
9/3 श्री भुरालाल पिता भेरा डांगी निवासी आंवलिया तहसील घासा।
9/4 श्रीमती मंगी पुत्री भेरा डांगी निवासी आंवलिया तहसील घासा।

10. श्रीमती हगु पत्नी पेमा डांगी निवासी घासा आंवलिया तहसील घासा।
11. श्री हरजी पिता रूपलाल डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा।
12. श्री देवा पिता रूपलाल डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा।
13. श्री किशनलाल पिता कालु डांगी निवासी आंवलिया घासा तहसील घासा।
14. पटवारी पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री जितेन्द्र नागदा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 से 5, 11, 12

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 30.04.2025

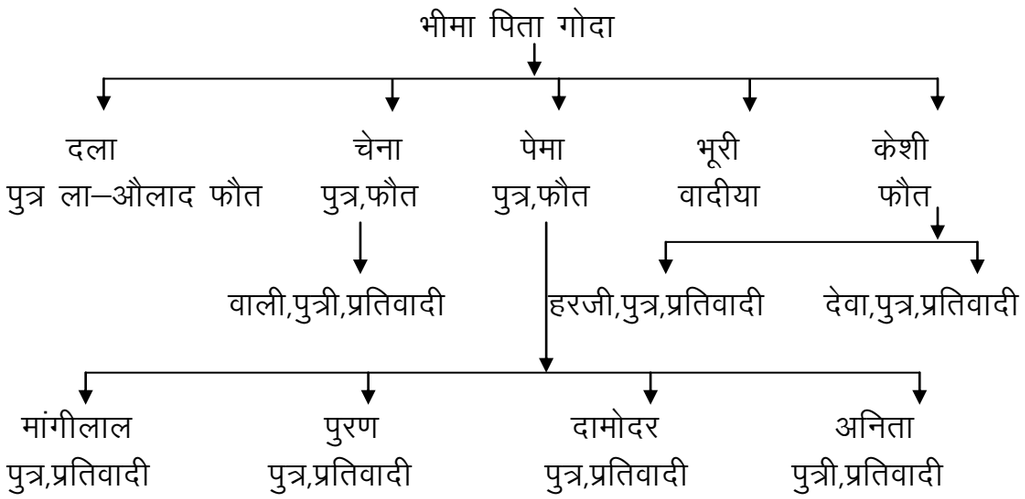

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा खरवडो का गुडा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 1015, 1030, 1034, 1038, 1039, 1046, 1051 किता 7 कुल रकबा 0.6959 हेक्टेर आराजीयात पेमा जी के वारिस विपक्षीगणो के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। आराजी नम्बर 1063, 1065 किता 2 कुल रकबा 0.5099 हेक्टेयर आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। आराजी नम्बर 1008, 1016, 1021, 1045, 1052, 1054, 1056, 1057, 1068 किता 9 कुल रकबा 0.7043 हेक्टेयर आराजीयात पेमा जी के वारिस विपक्षीगणो के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। आराजी नम्बर 1010, 1011, 1025, 1048, 996 किता 5 कुल रकबा 0.6312 हेक्टेयर आराजीयात विपक्षीगगणों के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थीया का सजरा खानदान इस प्रकार है :—

3. यह कि उक्त वर्णित वादगग्रस्त आराजीयात पूर्व में मुझ प्रार्थीया के दादा गोदा के नाम दर्ज थी तथा मुझ प्रार्थीया के दादा गोदा जी के निधन हो जाने के उपरान्त उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात विरासत से मुझ प्रार्थीया के पिता भीमा पिता गोदा जी को प्राप्त हुई तथा मुझ प्रार्थीया के पिता भीमा पिता गोदा जी के निधनोपरान्त उक्त वादग्रस्त आराजीयात विरासत से मुझ प्रार्थीया एवं मुझ प्रार्थीया के भाई एवं बहनो दल्ला, चेना, पेमा एवं मेरी बहन केशी के नाम दर्ज होना चाहिए था किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से मुझ प्रार्थीया के पिता जी भीमा जी के निधन के उपरान्त भीमा जी के नाम दर्ज भूमि का विरासत का नामान्तरण [illegible] भीमा के पुत्र दला, चेना एवं पेमा के नाम दर्ज हो गया है, परन्तु [illegible] मै प्रार्थीया [illegible] पिता भीमा जी की विरासत से मिली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

हुई आराजीयात में अपने हक हिस्से अनुसार 1/5 हिस्से पर कब्जे काश्त होकर खेती करती चली आ रही थी इस तहर मुझ प्रार्थीया की बहन केशी भी उक्त वादग्रस्त आराजीयात में उसके 1/5 हिस्से पर कब्जे काश्त होकर खेती करती चली आ रही थी। राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से मेरे पिता भीमा पिता गोदा जी डांगी के विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 19.02.1966 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 60 से मुझ प्रार्थीया के भाई दला, चेना एवं पेमा जी के नाम पर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ परन्तु मौके पर भीमा जी के विधिक वारिस अर्थात मै प्रार्थीया एवं मेरे भाई बहन अपने 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार मौके पर खेती करते चले आ रहे हैं।

4. यह कि कालान्तर में मुझ प्रार्थीया के भाई दल्ला जो कि ला औलाद फौत हो चुका था, जिसका राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज था तथा दल्ला जी के ला–औलाद फौत हो जाने से राजस्व कर्मचारियो ने बिना किसी विधिक कार्यवाही एवं बिना जांच दल्ला जी के सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरकरण चेना एवं पेमा जी के पक्ष में 1/2, 1/2 हिस्से से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया तथा मैं प्रार्थीया एवं मेरी बहन केशी दल्ला जी की सगी बहने होकर दल्ला जी के ला औलाद फौत हो जाने की वजह से दल्ला जी के नाम दर्ज हिस्से की भूमि में अपना एवं अपनी बहन केशी का नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी हूं क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दल्ला जी के निकटतम विधिक वारिस चेना एवं पेमा की तरह मैं प्रार्थीया एवं मेरी बहन केशी भी थी परन्तु नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान मुझ प्रार्थीया एवं मेरी बहन का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया गया है जिससे मुझ प्रार्थीया को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित होना पडा हैं। मुझ प्रार्थीया का नाम विरासतन भीमा जी के हक हिस्से में भीमा जी की मृत्यु हो जाने से हिस्से अनुसार दर्ज नहीं किया गया तथा मेरे भाई दल्ला जी के ला–औलाद फौत हो जाने की वजह से दल्ला जी के हिस्से में भी मुझ प्रार्थीया का नाम हिस्से अनुसार दर्ज नहीं किया गया तथा पेमा एवं चेना जी के नाम हिस्से से अधिक भूमि दर्ज होने से चेना एवं पेमा जी ने सम्वत् 2032 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 35 उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 6, 7 व 8 के पिता लोगर जी को हस्तान्तरित कर दी, मै प्रार्थीया भीमा जी की पुत्री एवं दल्ला जी की जमीन में 1/4 हिस्से की भूमि में मैं प्रार्थीया अपना नाम घोषित करवाने की अधिकारीणी हूं। राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में मुझ प्रार्थीया का नाम खातेदारी हक से दर्ज नहीं हो पाया जिस कारण पश्चातवृति उक्त वादग्रस्त भूमि से सम्ब[illegible] सी हस्तान्तरण एवं नामान्तकरण मेरे हक व अधिकारो के मुकाबले [illegible] लिए मैं प्रार्थीया मेरे पिता भीमा एवं मेरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

भाई मृतक दल्ला जी की भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारीणी हूं।

5. यह कि मुझ प्रार्थीया का प्राइमाफैसी मुकदमा है क्योंकि उक्त वर्णित जमीन में 1/4 हिस्से की भूमि में भीमा की पुत्री एवं दल्ला जी की बहन अर्थात् दल्ला जी की निकटतम वारिस होने से भीमा एवं दल्ला जी की विरासत से प्राप्त होने से मुझ प्रार्थीया के अधिकार आधिपत्य हिस्से अनुसार कब्जे में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थीया के पक्ष में हैं। इसलिए मुझ प्रार्थीया उक्त आराजीयात को अपने नाम हिस्सेनुसार स्वतन्त्र रूप से दर्ज कराने के अधिकारीणी हैं।
6. यह कि वादग्रस्त जायदाद मुझ प्रार्थीया की पैतृक होने तथा इसमें मुझे जन्म से ही अधिकार मिल जाने की वजह से इसमें मेरा स्वामित्व एवं आधिपत्य होने की वजह से अगर विपक्षीगण के विरूद्व मेरे हिस्से में दखलन्दाजी नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो मुझे होने वाली क्षति का आंकलन रूपयो पैसो में नही किया जा सकेगा तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मेरे पक्ष में होने से विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो वादग्रस्त जायदाद में मेरे हिस्से का मुझे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा इसमें कोई दखलन्दाजी नहीं करें। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो वादग्रस्त जायदाद में मेरे हिस्से का मुझे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा इसमें कोई दखलन्दाजी नहीं करें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2, 6, 8/1 से 8/4, 9/1 से 9/3, 10, 13, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमियां ग्राम खरवडो का गुडा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 1008, 1016, 1021, 1045, 1052, 1054, 1056, 1057, 1068 किता 9 रकबा 0.7043 हेक्टेयर सम्पूर्ण तथा आराजी नम्बर 1010, 1011, 1025, 1048, 996 किता 5 कुल रकबा 0.6312 हेक्टेयर का 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ विपक्षी के नाम पर अंकित है तथा मैं विपक्षी अपनी खातेदारी अधिकार की भूमियों पर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग चली आ रही हूं जिसमें प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं। प्रार्थीया ने वादगत भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर यह प्रकरण प्रस्तुत किया है जिससे प्रकरण में विस्तृत वंशावली का अंकन किया जाना आवश्यक है क्योंकि पैतृक सम्पति वह है जो पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता से मिली हो, दादा आदि से पुरूष वंश की चार पीढियो तक विरासत में मिली हो और अविभाजित हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त सम्पति प्रार्थीया की पैतृक सम्पति नहीं है जिस वजह से उसने जानबुझकर अपने खानदान की विस्तृत वंशावली यहां नही दर्शाई हैं।

8. यह कि वादगत भूमि पूर्व में गोदाजी के नाम अंकित थी जो गोदाजी के निधनोपरान्त उनके पुत्र दला, चेना, पेमा के नाम पर रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर दर्ज की गई थी जो कि सही है उक्त जायदाद गोदाजी के नाम दर्ज होने से न तो यह जायदाद प्रार्थीया की पैतृक हो सकती है, न ही इसमें प्रार्थीया का कोई हक अधिकार बनता है। रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया था वह कानूनन सही हैं। प्रार्थीया का उक्त भूमि में न तो 1/5 हिस्सा है, न ही किसी भू भाग पर प्रार्थीया का कभी कोई कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थीया ने लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर मुझ विपक्षी को हैरान परेशान करने के मकसद से मनमाने तरीके से मनगढन्त कथन अंकित किये है। प्रार्थीया ने अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई भी ठोस एवं मजबूत दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थी के ऐसे मौखिक कथनों पर विश्वास किया जाना सम्भव नहीं हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया वह सही खोला गया था और इस नामान्तरकरण में वर्णित वारिसान ही भीमा की कुलिया जायदाद पर काबिज होकर उनके जीवनकाल में उपयोग उपभोग करते रहे थे तथा इनके मरणोपरान्त इनके विधिक वारिसान अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई जायदाद पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमियों से प्रार्थीया का कोई लेना–देना नहीं हैं।

9. यह कि दल्ला के लाऔलाद फौत होने से उसका हिस्सा भी चेना व पेमा तथा इनके वारिसानों में निहित हुआ जिस पर भी चेना व पेमा तथा इनकी मृत्यु पश्चात् इनके वारिसान ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे है। उक्त कृषि भूमियों का सभी पक्षकारों ने वर्ष 2000 में न्यायालय से विधिक विभाजन कराकर अपने–अपने हिस्सेनुसार अलग–अलग खातेदारी में दर्ज कराई अर्थात उक्त कृषि भूमियों का वर्षों पूर्व ही विधिक बंटवाडा हो चुका है और विधिक रूप से कराये गये बंटवाडा अनुसार जरिए नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 25.04.2000 को उक्त कृषि भूमि मुझ विपक्षी एवं अन्य हिस्सेदारो के नाम पर पृथक–पृथक रूप से दर्ज हुई है जिससे अब मुझ विपक्षी के नाम अंकित भूमियां न तो प्रार्थीया की पैतृक सम्पति है, न ही विभक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है मुझ विपक्षी के नाम अंकित हक हिस्से की भूमियों में न तो प्रार्थीया या अन्य वारिसान का कोई हक अधिकार है, न ही कोई लेना–देना रहा है। मै विपक्षी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर स्वतन्त्र रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं। प्रार्थीया चालाक एवं शातीर किस्म की है जिसने नाजायज उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस तरह की बनावटी कहानी बनाकर यह झूठा मुकदमा माननीय न्यायालय में किया है जिसमें प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

को लेशमात्र भी सफलता मिलने वाली नहीं हैं। वादगत भूमि प्रार्थीया की मौरूसी सम्पति नहीं है जिससे इस भूमि में प्रार्थीया को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थीया ने उक्त सम्पति उनकी मौरूसी होने के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, केवल मौखिक कथनो की आड लेकर यह मिथ्या मुकदमा कर दिया है जो इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं।

10. यह कि चेना व पेमा उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार थे और उक्त कृषि भूमि उनके नाम पर विधिवत रूप से दर्ज हुई थी जिससे उन्हे अपने हक हिस्से की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग एवं हस्तान्तरण करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। प्रार्थीया ने पेमा व चेना द्वारा उनके हिस्से की भूमि में से भूमि विपक्षी संख्या 6 से 8 को हस्तान्तरित करने का कथन किया है और प्रार्थीया द्वारा किये गये कथनानुसार यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 6 से 8 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 1063, 1065 को इसके पूर्वाधिकारी/खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया हैं जबकि विपक्षी संख्या 6 से 8 जाति से खटीक होकर अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य है तथा एक बार भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज होने के पश्चात् वह भूमि किसी भी सामान्य वर्ग या अन्य किसी वर्ग के सदस्य के नाम पर खातेदारी हक से अंकित नहीं हो सकती है जिसका स्पष्ट उल्लेख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी में कर रखा हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीया द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्य क्रेता विपक्षी संख्या 6 से 8 के विरूद्व माननीय न्यायालय से दाद प्राप्ति बाबत जो प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है वह विधि द्वारा वर्जित होकर निरस्तनीय है और प्रार्थीया मुझ विपक्षी के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार के हक अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नहीं हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई गलती नहीं की है बल्कि विधिवत रूप से प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण खोला गया था जो सही है तथा इसके पश्चात इस भूमि के सम्बन्ध में जो भी हस्तान्तरण व नामान्तरकरण हुए वह भी वैध होकर प्रभावशाली है। हस्तान्तरण एवं नामान्तरकरण प्रार्थीया के कहने मात्र से बेअसर व शून्य निष्प्रभावी नहीं हो सकते है, न ही ऐसा माना जा सकता है क्योंकि उक्त जायदाद प्रार्थीया की पैतृक सम्पति नहीं है, न ही अविभाजित सम्पति है। प्रार्थीया का यदि कोई हक इस भूमि में है तो वह जब तक उक्त हस्तान्तरण एवं नामान्तरकरण को सक्षम न्यायालय से केन्सल नहीं करा देती है तब तक राजस्व न्यायालय से कोई भी दाद प्रार्थीया हासिल करने की अधिकारी नहीं है, न ही प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य है। इस प्रकार प्रार्थीया मुझ विपक्षी के खिलाफ किसी प्रकार की घोषणा कराने की अधिकारीणी नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

11. यह कि प्रार्थीया का न तो प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है, न ही सुविधा संतुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में मुझ विपक्षी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है और मुझ विपक्षी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में है और मुझ विपक्षी ने इस कृषि भूमि पर अब तक लाखों रूपयो की लागत लगा दी है जिसका ज्ञान प्रार्थीया तथा हर आम एवं खास को है। उक्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति नहीं है जिससे प्रार्थीया का उक्त वर्णित सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं बनता है। मैं विपक्षी इस कृषि भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हूं और निर्बाध रूप से काबिज चली आ रही हूं। इसके विपरित प्रार्थीया न तो खातेदार है, न ही इस भूमि पर प्रार्थीया का कोई कब्जा भुगत भोग रहा है, न ही उक्त सम्पति प्रार्थीया की मौरूसी है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीया माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं हैं।

12. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथो से नहीं आई है तथा सभी झूठे तथ्य अंकित कर माननीय न्यायालय से दाद प्राप्त करना चाह रही हैं। उक्त कृषि भूमियों का विधिक बंटवाडा होकर सभी के अलग–अलग खातेदारी हक से दर्ज है इसलिए प्रार्थीया उक्त बंटवाडा को जब तक सक्षम न्यायालय से केन्सल नहीं करा देवे तब तक प्रार्थीया को इस न्यायालय में प्रार्थना लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 6 से 8 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 1063, 1065 को इसके पूर्वाधिकारी/खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है जबकि विपक्षी संख्या 6 से 8 जाति से खटीक होकर अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य है तथा एक बार भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज होने के पश्चात वह भूमि किसी भी सामान्य वर्ग या अन्य किसी वर्ग के सदस्य के नाम पर खातेदारी हक से अंकित नहीं हो सकती है जिसका स्पष्ट उल्लेख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी में कर रखा है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीया द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्य क्रेता विपक्षी संख्या 6 से 8 के विरूद्व माननीय न्यायालय से दाद प्राप्ति बाबत् जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह विधि द्वारा वर्जित होकर निरस्तनीय है। इसी तरह का प्रकरण माननीय न्यायालय में कृषि भूमि के सम्बन्ध में गेन्दीबाई द्वारा एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया था जिसके प्रकरण संख्या 184/18 वाद है जिसमें अनुसूचित वर्ग के क्रेता द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाया गया हैं। हस्तगत प्रकरण एवं प्रकरण संख्या 184/18 वाद दोनों [illegible] प्रकृति के मामले है जिससे प्रार्थीया का वाद एवं प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

13. यह कि प्रार्थीया ने उक्त वर्णित कृषि भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना अंकित किया है जबकि उक्त सम्पति प्रार्थीया की पैतृक नहीं है क्योंकि पैतृक सम्पति वह है जो पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता यानि पिता, दादा आदि से पुरूष वंश की चार पीढियों तक विरासत में मिली हो। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक इस मामले में वर्णित सम्पति प्रार्थीया की पैतृक नहीं है तो उसे इसमें किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, न ही कोई हक अधिकार प्राप्त करने का हक ही रखती हैं। जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी विधि द्वारा वर्जित होकर खारिज योगय हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 14 पटवारी एवं विपक्षी संख्या 15 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली को पक्षकार बनाया है जबकि जहां पर लोक सेवक को किसी प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा बनाया जाता है तो उन्हे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पहले विधि अनुसार धारा 80 जा.दी. के तहत नोटिस दिये जाने का प्रावधान है लेकिन प्रार्थीया ने न तो कोई सूचना पत्र दिया है, न ही प्रार्थना प्रस्तुती की स्वीकृति न्यायालय से प्राप्त की है। प्रार्थी ने जानबुझकर आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी विधि द्वारा वर्जित होकर खारिज योग्य हैं। प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होने के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण (काज ऑफ एक्शन) पैदा नहीं हुआ है और काज ऑफ एक्शन के अभाव में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निस्तनीय हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से एवं बिना किसी काज ऑफ एक्शन के होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

14. **विपक्षी संख्या 2 से 5 व 10 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया** कि भूमि व केशी भीमा जी की पुत्रीयां है तथा हमारे पिता/पति की सगी बहने हैं। वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होकर गोदा जी के समय से उक्त वादग्रस्त भूमि पर भीमा एवं उनके पांचो वारिस 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है। कालान्तर में दल्ला के लाऔलाद फौत हो जाने की वजह से 1/4, 1/4 हिस्से पर सभी खेती करते आ रहे हैं। भीमा जी की मृत्यु पर भूमि एव केशी का नाम राजस्व अधिकारियों ने जानबुझकर भीमा जी की विरासत से जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया है। दल्ला के ला औलाद फौत हो जाने की वजह से राजस्व अधिकारियों ने पुनः केशी व भूरीबाई को जो कि दल्ला की सगी बहने होकर निकटतम वारिस थे। जिनका नाम दौराने नामान्तरकरण की कार्यवाही में जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया जबकि दल्ला के हिस्से पर दल्ला के निकटतम वारिस ब[illegible] से कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई बंटवारा नहीं हुआ है आज भी हम सभी खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम विपक्षीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

15. **विपक्षी संख्या 11 व 12 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि** प्रार्थीया भूरी व केशी जो हम विपक्षी संख्या 11 व 12 की माता है, जो भीमा की पुत्रीया हैं। वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होकर गोदा जी के समय से उक्त वादग्रस्त भूमि पर भीमा एवं उनके पांचो वारिस 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है। कालान्तर में दल्ला के लाऔलाद फौत हो जाने की वजह से 1/4, 1/4 हिस्से पर सभी खेती करते आ रहे हैं। भीमा जी की मृत्यु पर भूरी एवं केशी का नाम राजस्व अधिकारियों ने जानबुझकर भीमा जी की विरासत से जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया हैं। दल्ला के ला–औलाद फौत हो जाने की वजह से राजस्व अधिकारियों ने पुनः केशी व भूरीबाई को जो की दल्ला की सगी बहने होकर निकटतम वारिस थे इसका नाम दौराने नामान्तरकरण की कार्यवाही में जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया, जबकि दल्ला के हिस्से पर दल्ला के निकटतम वारिस बराबर हिस्से से कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई बंटवाडा नहीं हुआ है आज भी हम सभी खातेदार संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे हैं।

16. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि** मौजा खरवडो का गुडा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 1015, 1030, 1034, 1038, 1039, 1046, 1051 किता 7 कुल रकबा 0.6959 हेक्टेयर है, उक्त वर्णित भूमि पेमा जी के वारिसों के नाम पर हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है इसी तरह आराजी नम्बर 1063, 1065 किता 2 कुल रकबा 0.5099 हेक्टेयर भूमि विपक्षीगणों के नाम पर हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इसी तरह आराजी नम्बर 1008, 1016, 1021, 1045, 1052, 1054, 1056, 1057, 1068 किता 9 कुल रकबा 0.7043 हेक्टेयर भूमि विपक्षीगणों के नाम पर हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। इसी तरह आराजी नम्बर 1010, 1011, 1025, 1048, 996 किता 5 कुल रकबा 0.6312 हेक्टेयर भूमि हम विपक्षी संख्या 11 व 12 एवं अन्य विपक्षीगणों के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में गोदा जी के नाम दर्ज थी तथा गोदा जी के निधन हो जाने के उपरान्त उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि विरासत से हम विपक्षी संख्या 11 व 12 एवं प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है तथा भीमा के निधनोपरान्त उक्त वादग्रस्त भूमि विरासत से हम विपक्षी संख्या 11 व 12 की माता केशीबाई के साथ–साथ प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के भाई दल्ला, चेना, पेमा के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती वजह से भीमा जी के निधन के उपरान्त भीमा जी के नाम दर्ज भूमि का विरासत से नामान्तरकरण केवल मात्र भीमा के पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

दला, चेना एवं पेमा के नाम दर्ज हो गया है परन्तु मौके पर हम विपक्षी संख्या 11 व 12 केशीबाई के पुत्र होने की वजह से केशीबाई को भीमा की विरासत में मिली हुई जमीन में अपने–अपने हिस्से पर कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे है।

17. यह कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त जमीन में हम विपक्षी संख्या 11 व 12 को हमारी माता की विरासत से मिलने से इस जमीन में हम विपक्षी संख्या 11 व 12 को जन्म से अधिकार प्राप्त हो गये। इसी दौरान दल्ला पुत्र भीमा जो कि हम विपक्षी संख्या 11 व 12 की माता का भाई है जो ला–औलाद फौत हो चुका है, जिसके निकटतम वारिस मेरी माता केशीबाई थी, जिस कारण दल्ला के हिस्से में हम विपक्षीगण की माता केशीबाई का भी नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु दल्ला की विरासत से केवल मात्र चेना एवं पेमा का नाम ही दर्ज किया। भूरी एवं केशीबाई का नाम दर्ज नहीं किया, जिस कारण हम विपक्षी संख्या 11 व 12 भीमा पिता गोदा एवं दल्ला पिता भीमा के नाम सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में विरासत से अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है परन्तु नकल जमाबन्दी में विपक्षीगणों के नाम हिस्से से अधिक भूमि दर्ज होने से विपक्षीगणों द्वारा उक्त जमीन का जो रद्दोबदल एवं हस्तान्तरण किया वो हमारे हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य एवं बेअसर है, जिस कारण विपक्षीगणों द्वारा पूर्व में किये गये हमारे हक व अधिकारों के मुकाबले शुन्य एवं बेअसर हैं। हम विपक्षीगण 11 व 12 का उक्त मुकदमा प्राइमाफैसी केस है, सुविधा संतुलन भी हम विपक्षी संख्या 11 व 12 के पक्ष में है क्योंकि हम विपक्षी संख्या 11 व 12 भीमा पिता गोदा की पुत्री केशीबाई के वारिस है तथा दल्ला पिता भीमा जी के भी हम विपक्षी संख्या 11 व 12 की माता केशीबाई निकटतम वारिस है जिस कारण विरासत से उक्त वादग्रस्त भूमि में हम विपक्षी संख्या 11 व 12 का जन्म से अधिकार है, जिस कारण प्रार्थी एवं विपक्षीगणों के विरूद्व हम विपक्षी संख्या 11 व 12 अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि वे हम विपक्षी संख्या 11 व 12 के हिस्से व कब्जे की भूमि में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न तो स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत करावें। उक्त प्रार्थी एवं विपक्षीगण को हमारे हिस्से एवं कब्जे की भूमि में बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं।

18. यह कि काउन्टर प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 24.12.2025 को हम विपक्षी संख्या 11 व 12 न्यायालय से उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत् सम्मन प्राप्त हुऐ तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में नकले निकलवाई एवं हमारे हक एवं हिस्से के बारे में किये गये पूर्व में गलत इन्द्राज के आधार पर जानकारी होने पर तथा विपक्षीगणों द्वारा उक्त जमीन से हमे बेदखल करने की धमकी देने पर काउन्टर क्लेम कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम विपक्षी संख्या 11 व 12 का काउन्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वे हम विपक्षी संख्या 11 व 12 के हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करने देवे, इसमें किसी भी तरह दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करें।

19. **प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के जवाबदावे व विशेष कथन का जवाब–उल–जवाब पेश** कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि पर अपने आपको जवाब पेश होने की दिनांक 13.01.2025 तक खातेदार बताते हुए उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद वर्णित आराजीयात को दौराने वाद दिनांक 06.06.2024 को माधुलाल पिता ठाकरू जी तेली को बिकाव कर दिया है। बिकाव की राशि 26,00,000/– रूपये तय कर प्रतिवादी संख्या 1 ने 5,00,000/– रूपये नकद जिसमें से 4,00,000/– रूपये नकद एवं 1,00,000/– रूपये जरिये चैक से प्राप्त कर लिया। उक्त बिकावनामें में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को माधुलाल पिता ठाकरू जी तेली को बिकाव कर दिया है तथा विक्रय की जानकारी स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 को होते हुए न्यायालय में दिनांक 13.01.2025 को प्रस्तुत जवाबदावें में उक्त बिकावनामें का कोई हवाला प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को बिकाव कर अपने समस्त हक व अधिकार मिठालाल तेली में निहित कर दिये है जिस कारण वादी द्वारा अपने जवाब में अपने आपको उक्त जमीन के स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के सम्बन्ध में किये गये कथन सर्वथा निराधार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त सम्पति में अपने सम्पूर्ण हिस्से को बिकाव कर न्यायालय की न्यायिक कार्यवाहियों को लम्बा करने की गरज से उक्त भूमि को न्यायिक कार्यवाहियों की जानकारी होते हुए बिकाव कर दिया हैं।

20. यह कि वादी द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में विधिक विभाजन के नये तथ्यों को उजागर किया है उक्त विभाजन की कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न तो मुझे सूचित किया गया है और न ही न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार थी, प्रतिवादी संख्या 1 द्वार पूर्व में की गई न्यायिक कार्यवाहीया मेरी जानकारी के अभाव में की गई तथा उक्त भूमि पर कोई बंटवाडा नहीं हुआ है, वर्तमान में गोदा जी के वारिस हिस्से अनुसार उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे हैं। पूर्व में किये गये विभाजन कार्यवाही के कोई दस्तावेज एवं उस कार्यवाही के जानकारी के सम्बन्ध में मुझ वादीया के हस्ताक्षर या सूचना पत्र आप न्यायालय में पेश नहीं किये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का विक्रय कर दिया गया है, जिसके बाद न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर जवाबदावा पेश किया है कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिफल भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त कर लिया गया हैं।'' अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया का जवाब–उल–जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा खारिज फरमाया जावें।

21. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

22. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 8, 9/2 से 9/4, 10, 13 व अन्य सहखातेदार के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीया का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में मेरा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के भाईयो के नाम सेटलमेंट संवत 2023 से चली आ रही है। अर्थात लगभग 59 वर्ष बाद प्रार्थीया द्वारा वाद प्रस्तुत कर घोषणा चाही गई है। उसके पश्चात वादग्रस्त भूमि में अनेक नामान्तकरण पारित किये जा चुके है। विपक्षी सं. 1 से 8, 9/2 से 9/4, 10, 13 के व अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। जिसकी खातेदारी की स्थिति लगभग 59 वर्षो से चली आ रही है। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध टी.आई नही दी जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। लगभग 59 वर्षो में ही प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11, 12 को आपत्ति नही हुई। यदि वर्तमान खातेदारो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। तो उनको अपने परिवार के पालन पोषण में कठिनाईयां उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 के विरूद्ध साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

12 के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 8, 9/2 से 9/4, 10, 13 व अन्य सहखातेदार के नाम खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थीया रिर्कोडेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहती है। रिर्कोडेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

23. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा खरवडो का गुडा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 1015, 1030, 1034, 1038, 1039, 1046, 1051 किता 7 कुल रकबा 0.6959 हेक्टेयर, खाता संख्या 291 पर दर्ज आराजी नम्बर 1063, 1065 किता 2 कुल रकबा 0.5099 हेक्टेयर, खाता संख्या 1008, 1016, 1021, 1045, 1052, 1054, 1056, 1057, 1068 किता 9 कुल रकबा 0.7043 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 314 पर दर्ज आराजी नम्बर 1010, 1011, 1025, 1048, 996 किता 5 कुल रकबा 0.6312 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 8, 9/2 से 9/4, 10, 13 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 11 व 12 द्वारा भी जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया एवं विपक्षीगण को पाबंद करवाना चाहते हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के भाईयो के नाम सेटलमेंट संवत 2023 से चली आ रही है। अर्थात लगभग लगभगग 59 वर्ष बाद प्रार्थीया द्वारा वाद प्रस्तुत कर घोषणा चाही गई है। उसके पश्चात वादग्रस्त भूमि में अनेक नामान्तकरण पारित किये जा चुके है। विपक्षी सं. 1 से 8, 9/2 से 9/4, 10, 13 के व अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। जिसकी खातेदारी की स्थिति लगभग 59 वर्षो से चली आ रही है। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12, अन्य विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं जबकि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदारो के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं उन्हे अपूरणीय क्षति होगी। विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से खातेदार की भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार हैं। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 की पैतृक सम्पति है प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 के इस बिन्दू को इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 द्वारा उठाये गये तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जा सकते हैं। वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण भी नही बताया गया जिससे यह प्रतित होता हो की खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 के विरूद्व साबित हुए हैं। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाया जाना न्यायहित में उचित है। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 का काउन्टर प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested